संख्या-47/2020/2976/22-2-2019-17(72)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जरीफ पुत्र श्री मंगता निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33635/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-26.09.2019) दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जरीफ पुत्र श्री मंगता, जो-ग्राम- कैलाशपुर,थाना-गागलहेड़ी,जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.09.1984 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पलकटी लाठी,भाला व पिस्टल से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-02/1985 में भा0द0वि0 की धारा-302/149,323/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, द्धितीय, सहारनपुर के आदेश दिनांक 22.12.1986 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया,जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2016 एवं मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वारा यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की है, किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा काटी गयी सजा, एवं कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: प्रकरण में पिटीसन (एस) फार स्पेशल लीव टू अपील (क्रि0) संख्या (एस)-8416/2017 जरीफ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2017 एवं उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जरीफ (बंदी संख्या-1990/2017) पुत्र श्री मंगता, निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-47/2020/2976(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in